कार्यालय प्रधानाचार्य देवनारायण आवासीय विद्यालय बालेटा अलवर

मूल्य– 500/– रु.

निविदा संख्या – 2022–23/01

ई–निविदा

विज्ञप्ति कमांक – 01/2022–23

कार्यालय प्रधानाचार्य देवनारायण आवासीय विद्यालय बालेटा अलवर में एक वर्ष (निविदाएं खोलने की तिथी से एक वर्ष की समाप्ति तक) के लिए निम्नांकित ठेका कार्यो हेतु निम्न विवरणानुसार इच्छुक पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में टेण्डरिंग प्रकिया हेतु ऑन लाईन निविदाए आमन्त्रित की जाती है –

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवष्यक श्रमिक की संख्या	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	अमानता राषि	ई बोली दस्तावेज डाउनलोड/अपलोड करने की दिनांक एवं समय	ई बोली दस्तावेज डाउनलोड/अपलोड करने की अन्तिम तिथी	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि/समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुरक्षा गार्ड	03 (पूरे माह) 12माह	1850000	500 रूपये	500 रूपये	37000 रूपये	10.12.2022 दोपहर 12 बजे से	23.12.2022 11बजे तक	24.12.2022 दोपहर 12बजे तक
2	बागवान	01 (पूरे माह) 12माह							
3	इलैक्ट्रीशियन	01 (पूरे माह) 12माह							
4	सफाई कर्म	02 (पूरे माह) 12माह							
5.	सहायक कर्म.	02 (पूरे माह) 12 माह							
6	प्रयोगशाला सेवक	01(26 दिन) 10माह							
7	कम्प्युटर ओपरेटर	01(26 दिन) 10माह							
8	कुक/रसोईया	06 (10 माह)							

1.प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय बालेटा अलवर कार्यालय में भौतिक रूप से डी.डी एवं अपलोड किये दस्तावेज जमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 23.12.2022 को दोपहर 02 बजे तक

2.निविदा खोलने की तिथि – दिनांक 24.12.2022 को 12 बजे

3.समस्त राषियों के डी.डी.(प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय बालेटा अलवर) की हार्डकॉपी लिफाफे में रखकर प्रत्येक लिफाफे पर निविदा तथा फर्म नाम एवं निविदादाता के मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा।

4.ई बोली प्रतिभूति राशि एवं ई–बोली प्रपत्र शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर्स चेक प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय बालेटा अलवर) के नाम तथा ई–बोली प्रोसेसिंग फीस एम.डी.आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में जो कि जयपुर देय हो बनाना होगा।

5 ई–बोली केवल https.eproc.rajasthan.gov.in पर ही स्वीकार की जायेगी है।

कार्यालय प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय, बालेटा (अलवर)

तकनीकी ई–बोली प्रपत्र

1.बोलीदाता / संवेदक का नाम ....

2.डाक का पता ....

3. फोन / मोबाईल नम्बर ....

4. ई–मेल

5. आई.एफ.एस.सी. कोड

6. खाता सख्या ....

7. बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजो के साथ लगानी होगीः–

क. सं.	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजिकरण दिनांक	संलग्न कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम,1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर				
5	आयकर पैन नम्बर				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	आई.एस.ओ. 9001:2005 या				

	नवीनतम				
8	नागरिक सेवा गृह रक्षा विभाग, जयपुर या राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से जारी सुरक्षा सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस/अनुमति का विवरण होना अनिवार्य है।				

9- बोलीदाता या संवेदक द्वारा गत वित्तीय 3 वर्ष (2019–20,2020–21,2021–22) का औसत टर्नओवर 60 लाख रूपये होना चाहिए जिसके समर्थन में चार्टेड अकांउटेंट द्वारा ओडिटेड विवरण पत्र/बेलेंस सीट मय UDIN Number सहित स्वहस्ताक्षर प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करवाना आवश्यक है। बिना यूडीआईएन नंबर वाली निविदा पर विचार नही किया जावे

वर्ष	टर्नओवर वर्ष लाख रूपये में
2019–20	
2020–21	
2021–22	

10. कार्यानुभव विवरण विगत 3 वर्षा का

क्र. सं.	संस्था का नाम	कार्य आदेश की प्रति	कार्य की लागत	संलग्न संख्या

12. मैं/हम प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय , बालेट अलवर द्वारा जारी की गई ई–बोली आमंत्रण सूचना कमांक.......................... में वर्णित सभी शर्तो से तथा सलंग्न बोली दस्तावेज में दी गई उक्त ई–बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

<u>निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा</u>

यदि मेरे या हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो आवासीय विद्यालय प्रशासन को बिना किसी पत्र या नोटिस के हमारी निविदा निरस्त एवं ब्लैकलिस्ट करने का पूर्ण अधिकारी होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

कार्यालय प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय, बालेटा (अलवर)

बोली की मुख्य शर्ते

General terms & conditions of Bid Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012"[hereinfafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 "[hereinfafter called the Rules]" under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the Act and Rules before participating in the bidding process. If there in any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें।

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्यबीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि स्कैन कर पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/ बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/ बोलीदाता का होगा।

6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

7. संवेदक/ बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/ बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/ बोलीदाता को आगामी माह के बिल/ बिलो का भुगतान किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

8. संवेदक / बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boardsलगाये जायेंगें, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpling नम्बर एवं संवेदक / बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दयित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।

10. संवेदक /बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक / बोलीदाता की ही होगी। संवेदक / बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिलों भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।

11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशो की पालना करने का दायित्व संवेदक / बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों / दायित्वों के लिये संवेदक / बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

12. यदि संवेदक / बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक / बोलीदाता की होगी। इसके लिये प्रधानाचार्य [illegible] रा.जि. आवासीय विद्यालय, कोटा के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औधोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक / बोलिदाता का होगा।

14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस.आई. करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

15. यदि संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक / बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

16. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार

Scanned by CamScanner

विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/ बोलीदाता का होगा।

17. कार्मिकों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। कार्मिकों की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/ बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।

18. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल बोलीदाताओं/ संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, सामानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

19. अनुबंधित बोलीदाता/ संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी का दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/ कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।

20. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तो पर तीन मास से अनाधिक कालावधि के लिए बढाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दोरान गिर न गयी हो।

21. बोली की विधि मन्यता वित्तीय बोली/ प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

22. बोलीदाता अपनी संविदा का या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाडे (Sub-let) पर नही देगा।

23. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह 04 दिवस में/कार्यादेशानुसार कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।

24. मूल्यांकन की कसौटी– तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता! संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/ क्वालिफाइड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।

25. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

26. निविदादाता का सर्विस चार्ज 3% से अधिक ही मान्य होगा, निविदा की स्वीकृति गठित समिति के पास होगी और समिति सबसे कम दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नही है

27. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ती हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक

Scanned by CamScanner

... के नाम जमा करानी होगी एवं राशि रूपये 500 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाऐगा।

28. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) रू. कार्य सम्पादन प्रतिभुति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नाकिंत मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई ओदश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहाता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामालों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

29. भुगतान :–

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाऐगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में हेने वाले विलम्ब कि लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

30. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):- परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए– 2.5 प्रतिशत

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए – 5 प्रतिशत

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधि अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए – 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10 प्रतिशत

(ड़) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम रशि 10 प्रतिशत होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संग्रिदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तों वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

विशिष्ट शर्ते :–

1. फर्म के पास ISO 9001:2005 या इससे नवीनतम प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
2. सहायक कर्मचारी को विद्यालय की सुविधानुसार विद्यालय का कोई भी कार्य करवाया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

3. राजकीय अवकाश के दिन भी अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवश्यकता होने पर दिये गये निर्देशानुसार ठेकेदार को नियमानुसार अनुबंधित श्रमिकों को कार्य करने हेतु उपलब्ध करवाना होगा।

4. ठेकेदार/ऐजेन्सी को संविदा पर लगाये गये कर्मचारियों के उपर्युक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति एटेस्टेड कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

5. संविदा पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी को प्रतिमाह न्यूनतम 26 दिन का भुगतान देय होगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यदि उक्त अवधि में कर्मचारी से राजकीय अवकाश दिवसो में सेवाऐं ली जाती है तो अधिकतम 5 दिन का भुगतान स्वीकृत दरों से किया जायेगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा पहचान हेतु परिचय पत्र स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराना होगा तथा उसे प्रतिदिन उपस्थिति के साथ कर्मचारी को ड्यूटी के समय पहने जाने वाले कपडों पर लगाना होगा।

7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को विद्यालय परिसर में कोई आवास, वर्दी एवं भोजन संबंधी उपलब्ध नही करायी जायेगी। श्रम नियमों, मजदूरी अधिनियम की पालना आयोजित विद्यालय में लगाये गये संविदा पर व्यक्तियों को देय भुगतान का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

8. निविदादाता का अलवर जिले में कार्यालय होना आवश्यक है

। इस कार्य को सम्पादित समय होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी व दायित्वों के लिये निविदादाता ही सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। राज्य सरकार एवं विद्यालय प्रशासन का किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा। बिजली नहीं होने की दशा में तुरन्त प्रभाव से डीजी सैट चालू करना होगा।

। इस कार्य हेतु डीजल विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा। जिसकी लॉग बुक का संधारण निविदादाता को करना होगा एवं प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी को जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा।

9. निविदादाता को विद्यालय परिसर में लगे पौधों की नियमित देखभाल करने, गये पौधे लगाये, घास की कटिंग करने एवं उन्हें नियमित पानी देने का कार्य इत्यादि करना होगा। घास कटिंग हेतु मशीन व अन्य औजार कैची, कुल्हाडी आदि विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

10. आवश्यक सुरक्षा मापदण्डों का पालन करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी तथा कार्य के दौरान श्रमिक के साथ हुई दुर्घटना के लिये निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।

11. संवेदक को विद्यालय प्रांगण में पूरे माह में सुरक्षा प्रहरियों द्वारा सुरक्षा करनी होगी। सुरक्षा प्रहरिया के साप्ताहिक अवकाश के दिन दूसरे चौकीदार का कार्य करते हुये किसी भी श्रमिक की दुर्घटना की स्थिति में संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा विद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

12. ठेका व्यवस्था में स्वस्थ एवं शारीरिक रूप से पूर्णतया फिट 18 से 55 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ही लगाया जायेगा। ठेका व्यवस्था में लगे कर्मी को निर्धारित वेश–भूशा (ड्रेश) परिचय पत्र, व्यवस्था हेतु आवश्यक रस्सी, टोपी, सीटी, टार्च की व्यवस्था सम्बन्धित एजेन्सी को करनी होगी। ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस एवं परिचय पत्र जगाकर रहना होगा। प्रत्येक पारी में कर्मियों के नियोजन का निर्देश विद्यालय प्रशासन द्वारा दिया जावेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का ठेकेदार द्वारा नियोजन नही किया जावेगा। ठेके पर लगे कार्मिकों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ठेकेदार द्वारा अपने स्तर से करवाया जा सकता है।

13. सुरक्षा व्यवस्था कार्य में मुख्यतः निम्न कार्य सम्मिलित होगें :–

Scanned by CamScanner

- बोली दाता का अपवर्जन :- अधिनियम धारा 25 मे उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकता है !
- संवेदक के पास इलेक्ट्रिशियन कम पिलम्बर चोकीदार रसोइया कम्प्युटर ऑपरेटर बागवान स्वीपर सम्बन्धी कार्य एक संस्था मे एक ही वितिय वर्ष मे उपलब्ध कराने का कार्य आदेश या अनुभव प्रमाण पत्र कम से कम एक वर्ष का होनाआवश्यकहै !
- निविदादाता का सर्विस चार्ज 3 प्रतिशत से कम मान्य नही होगा, निवीदा की गठित समिति के पास होगी और समिति सबसे कम दर को स्वीकृति करने के लिए बाध्य नही है !

TECHNICAL UNDERTAKING

I/We have clearly understood all the terms and conditions of the Bid and agreement etc, and agree to undertake for provide of Security Guard inDevnarayan govt. residential school, Baleta, Umrenwork at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department,

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid etc, and the instructions issued by the Devnarayan govt. residential school, Baleta, Umren from time to time.

I am/we are enclosing the following documents as per the terms and conditions of the Bid ;

1. DD/BC/BG bearing No. .... Dt. .... for Rs. ..../- {....................................} drawn on- .... on Bank toward Bid security.
2. Affidavit attested by a notary to that the bidder has no past or present criminal record with the Policy/Vigilance of CS Deptt./Vigilance and enforcement Deptt. Govt. of Rajasthan or Govt. of any other state/Govt. of India.
3. Affidavit stating that the bidder or any of the partners or representatives were never blacklisted the Central Government/ any State Court of Law in a criminal case.
4. Copy of the partnership deed along with permanent and present addresse of the partners in case of a Firm.
5. Copy of the Registration certificate, if it is firm/Limited Company.
6. Copy of the Registration certificate PAN/GST up to date.

I/We herby affirm that the department is at liberty to take action against me/us as per the terms and conditions of Bid Document, if the above said statement proves to be wrong at any point of time.

Date :-

Place :-

Signature of the bidder

Name :

Address :

Scanned by CamScanner

Annexure'B'

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders issued by Devnarayan govt. residential school, Baleta, ~~Umren~~ ALWAR from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5% on the total value of the cost of the quantity provide of Security Guardin various Devnarayan govt. residential school, Baleta, ~~Umren~~ ALWAR within five (05) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement, I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/our Bid security stand forfeited if I/we fall to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within five (05) days of acceptance of my/our Bid and I/we will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposit or any amount available with the department is liable to be forfeited, award contract for provide of Security Guardin various ~~Gram Panchayat of Panchayat Samiti Umren~~ stand cancelled besides blacklisting me/us.

SIGNATURE OF THE BIDDER

NAME :

ADDRESS :

Scanned by CamScanner

Annexure'C'

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to Devnarayan govt. residential school, Baleta, Alwar ~~Umren~~ for provide of Security Guardin in response to Notice Inviting Bids No Dated ~~01@2020&21.~~ We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/We possess the necessary professional, Technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter Into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of Interest as specified in The Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date :-

Place :-

Signature of the bidder

Name :

Designation :

Address :

Scanned by CamScanner

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तो का मैने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य रजिस्टर्ड है वास्तव में ई–बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित सुरक्षा कार्मिक उपलब्ध है तथा ''अधिनियम'' की धारा 46 एवं ''नियम'' के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नही है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत कर किया जा सकेगा तथा ई–बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Scanned by CamScanner